राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 971/2006

सोहन लाल उदेनिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग,जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.09.2006
आदेश की दिनांक : 28.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जय किशन योगी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर हुई। अपीलार्थी अनुसूचित जाति सवंर्ग से है एवं दिनांक 23.11.1990 को उसकी पदोन्नति वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर हुई। अपीलार्थी सहायक आयुक्त के पद पर वर्ष 1995–96 में चयनित हुआ। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 12.09.2000 को दिनांक 01.04.1999 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम सहायक आयुक्त की सूची में क्रम संख्या 3 पर अंकित है (अनुलग्नक–1)। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.09.2002 को हुई। अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में शिथिलता प्रदान नहीं की गई है और उसे वर्ष 1999–2000 में पदोन्नत नहीं किया गया। श्री रामपाल (अनुसूचित जाति) के दिनांक 30.09.1999 को उपायुक्त के पद पर सेवानिवृत्त होने से एक पद रिक्त हुआ था। अपीलार्थी को वर्ष 1999–2000 में 09 वर्ष का अनुभव था और उसको अनुभव में छूट दिए जाने पर उपायुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 12.09.2000 को जारी वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक–1) को आदेश दिनांक 06.11.2002 द्वारा बिना किसी कारण के वापस ले लिया गया (अनुलग्नक–2)। आदेश दिनांक 25.11.2004 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति उपायुक्त (चयनित वेतनमान) के पद पर वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गई है, जबकि वर्ष 1999–2000 तथा 2000–01 में किसी भी अधिकारी की उपायुक्त (चयनित वेतनमान) के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है। उपायुक्त का पद शतप्रतिशत पदोन्नति से भरा जाना होता है। अपीलार्थी को 12 वर्ष के अनुभव के पश्चात उपायुक्त के पद पर पदोन्नति दी गई है और उसे पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है, जबकि वर्ष 1997–98 में छः वर्ष और 1998–99 में चार वर्ष

का शिथिलन अनुभव में दिया जाकर पदोन्नति की गई है। उसके पश्चात वर्ष 2004–05 की डीपीसी में भी अनुभव में एक वर्ष का शिथिलन दिया गया है। अपीलार्थी का 09 वर्ष का अनुभव होने के बावजूद भी वर्ष 1999–2000 में पदोन्नति नहीं दी गई है क्योंकि उसे अनुभव में शिथिलन नहीं दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.12.2004 द्वारा एक अभ्यावेदन अनुलग्नक–4 प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 25.11.2004 को डीपीसी रिव्यू करने हेतु निवेदन किया गया है, जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 09 माह तक निर्धारित नहीं किए जाने पर उन्हें एक अभ्यावेदन दिनांक 06.09.2005 (अनुलग्नक–5) को दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में इसी संबंध में एक अपील 1136/2005 प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेश दिनांक 25.11.2004 को चुनौती दी गई, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा मूल अपील इस निर्देश के साथ वापस लौटा दी गई कि धारा 04 और धारा 09 के तहत अपील मेनटेबल नहीं है, जिसके क्रम में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.01.2006 को एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 07 माह की अवधि व्यथित होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं करने के फलस्वरूप यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी 09 वर्ष का अनुभव होने से अनुभव में शिथिलन दिया जाकर वर्ष 1999–2000 में उपायुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान वाणिज्य कर सेवा नियम 1969 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2004–05 की उपायुक्त के पद पर पदोन्नति रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति आदेश दिनांक 25.11.2004 को जारी किए गए है, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। क्योंकि इतने लम्बे समय के बाद अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अतः गुणावगुण को सुने बिना अपील निरस्त योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि पदोन्नति हेतु सेवा नियमों से निर्धारित अनुभव में छूट दिए जाना राज्य सरकार का विवेकाधिकार और विशेषाधिकार है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार योग्य पाये जाने पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी दिनांक 30.09.2007 को सेवानिवृत्त हो चुका है। आलोच्य आदेश दिनांक 25.11.2004 नियम संगत होने एवं अपीलार्थी को नियमानुसार उपायुक्त के पद पर पदोन्नति दिए जाने के कारण अपील खारिज योग्य है।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 25.11.2004 (अनुलग्नक–3) द्वारा सहायक आयुक्त वाणिज्य कर सेवा से उपायुक्त (चयनित वेतन

श्रृंखला) के पद पर पदोन्नति की गई है, को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी सहायक आयुक्त के पद पर वर्ष 1995–96 में चयनित है और दिनांक 01.04.1999 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम सहायक आयुक्त की सूची में क्रम संख्या 3 पर अंकित है (अनुलग्नक–1)। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.09.2002 को हुई। अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलता प्रदान नहीं की गई है और उसे वर्ष 1999–2000 में पदोन्नत नहीं किया गया। श्री रामपाल (अनुसूचित जाति) के दिनांक 30.09.1999 को उपायुक्त के पद पर सेवानिवृत्त होने से एक पद रिक्त हुआ था। अपीलार्थी को वर्ष 1999–2000 में 09 वर्ष का अनुभव था और उसको अनुभव में छूट दिए जाने पर उपायुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र था। आदेश दिनांक 25.11.2004 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति उपायुक्त (चयनित वेतनमान) के पद पर वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गई है, जबकि वर्ष 1999–2000 तथा 2000–01 में किसी भी अधिकारी की उपायुक्त (चयनित वेतनमान) के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है। अपीलार्थी को 12 वर्ष के अनुभव के पश्चात उपायुक्त के पद पर पदोन्नति दी गई है और उसे पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है, जबकि इससे पहले एवं बाद में आयोजित डीपीसी में अनुभव में शिथिलन दिया गया है। अपीलार्थी का 09 वर्ष का अनुभव होने के बावजूद भी वर्ष 1999–2000 में पदोन्नति नहीं दी गई है। क्योंकि उसे अनुभव में शिथिलन नहीं दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.12.2004 द्वारा एक अभ्यावेदन अनुलग्नक–4 प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 25.11.2004 को डीपीसी रिव्यू करने हेतु निवेदन किया गया है, जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 09 माह तक निर्धारित नहीं किए जाने पर उन्हें एक अभ्यावेदन दिनांक 06.09.2005 (अनुलग्नक–5) को दिया गया है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि 09 वर्ष का अनुभव होने पर अनुभव में शिथिलन दिया जाकर वर्ष 1999–2000 में उपायुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु निवेदन किया है। प्रत्यर्थी विभाग ने प्रस्तुत जवाब के अनुसार राजस्थान वाणिज्य कर सेवा नियम 1969 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2004–05 की उपायुक्त के पद पर पदोन्नति रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति आदेश दिनांक 25.11.2004 को जारी किए गए है, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। क्योंकि इतने लम्बे समय के बाद अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अतः गुणावगुण को सुने बिना अपील निरस्त योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि पदोन्नति हेतु सेवा समिति द्वारा अनुभव में छूट दिए जाना राज्य सरकार का विवेकाधिकार और विशेषाधिकार है और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार योग्य पाये जाने पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी दिनांक 30.09.2007 को सेवानिवृत्त हो चुका है। आलोच्य आदेश दिनांक 25.11.2004 नियम संगत होने के कारण एवं अपीलार्थी को नियमानुसार उपायुक्त के पद पर पदोन्नति दिए जाने के कारण अपील खारिज योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 25.11.2004 (अनुलग्नक–3), जिसमें वाणिज्य कर सेवा के सहायक आयुक्तों को उपायुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु आदेश जारी किए गए है, जिसमें अपीलार्थी को वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में यह निवेदन किया गया है कि उसे सेवा अनुभव में छूट प्रदान नहीं की गई है। अनुभव में छूट प्रदान कर वर्ष 1999–2000 में उपायुक्त के पद पर पदोन्नति की जावे। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि पूर्व के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा अनुभव में छूट प्रदान कर पदोन्नति दी गई है। उपलब्ध रिकॉर्ड में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं कि आलोच्य आदेश दिनांक 25.11.2004 की किसी भी अधिकारी को अनुभव में छूट प्रदान कर पदोन्नति प्रदान की गई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी किस आधार पर अनुभव में छूट प्राप्त कर पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। यह सही है कि सेवानियमों में निर्धारित अनुभव में शिथिलन देकर पदोन्नति दिया जाना राज्य सरकार का विवेकाधिकार और विशेषाधिकार है और यह सेवा में निर्धारित अनुभव धारित करने वाले पात्र अधिकारी के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दिया जाता है। अनुभव में शिथिलन किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता है वरन् एक सामान्य प्रशासनिक निर्णय होता है। लिहाजा व्यक्ति/अपीलार्थी विशेष को अनुभव में छूट देकर पदोन्नत करने की मांग न्यायोचित नहीं है। आलौच्य आदेश से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ अधिकारी को अपीलार्थी से पहले पदोन्नति नहीं दी गई है बल्कि वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रम के अनुसार पदोन्नति किया जाना प्रमाणित है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह मानना है कि अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)